

6/10/23

पजावती पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
 अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिन्वानी
 जाने पर भी प्रार्थी की ओर से कोई
 उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थन
 अदालत हाजरी अदालत पेशी में स्वीकार किया
 जाता है। पजावती फैसल शुक्रा होकर
 नया से पता होगा दस्ता दाखिल है।

राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

